भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2227

सोमवार, 2 अगस्त, 2021/11 श्रावण, 1943 (शक)

बाल श्रम

2227. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:
श्री रमेश बिधूड़ी:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम के संबंध में कोई समीक्षा की है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और देश के समक्ष आए बाल श्रम के मामलों की संख्या कितनी है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या कोविड-19 महामारी के कारण देश में बाल श्रम के मामले में बढ़ोतरी हुई है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): बाल श्रम विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और निरक्षरता का परिणाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में प्रमुख कामगारों की संख्या 43.53 लाख है।

सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें वैधानिक उपाय, परियोजना आधारित पुनर्वास और सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना शामिल है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को वर्ष 2016 में संशोधित किया गया। इस संशोधित अधिनियम को अब बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कहा जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजन या काम पर पूर्ण निषेध तथा जोखिमकारी व्यवसाय और प्रक्रियाओं में 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के नियोजन के निषेध का भी प्रावधान है। इस अधिनियम, में अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ताओं के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है और अपराध को संज्ञेय बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर टास्क फोर्स हेतु उपबंधित हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से लागू किया है।

जारी..2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएलपी के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को काम से मुक्त/छुड़ाया जाता है और एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि उपलब्ध कराई जाती है। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के निकट समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा पद्धति से सीधे जोड़ा जाता है। इसकी बेहतर निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल- "पेंसिल (बाल श्रम प्रतिषेध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच)" भी विकसित किया गया है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कामकाज के संबंध में मानदंडों में ढील देने का भी निर्णय लिया और कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए नियमों में ढील के साथ अप्रैल' 20 से सितंबर' 20 तक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत वित्तीय अनुदान जारी किया गया।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार मौजूद प्रकाशित आँकड़े 2019 से संबंधित है और जिसके अनुसार देश में वर्ष 2019 के दौरान बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 770 मामलों को पंजीकृत किया गया था।

*****